



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 16.09.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 55 पक्वे देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब अभियान के दौरान शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 नफर देवेन्द्र s/0 भूप सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी मोहल्ला शिवपुरी चित्रा टॉकीज के पास छर्ना थाना बरला जिला अलीगढ़ को दिनांक 16.09.2021 को रेल विहार रोड डी एल एफ से 55 पक्वे देशी शराब संतरा हरियाणा मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

देवेन्द्र s/0 भूप सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी मोहल्ला शिवपुरी चित्रा टॉकीज के पास छर्ना थाना बरला जिला अलीगढ़ मु0अ0सं0- 1313/2021 धारा 60/63 एक्स आई एक्ट अधि0 थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उप0नि0 अनंगपाल राठी
- 2- का0 3041 शेर सिंह
- 3- का0 1870 सचिन कुमार

बरामदगी का विवरण:-

55 पक्वे देशी शराब संतरा नाजायज हरियाणा मार्का

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले दो शातिर वाहन मय एक चोरी की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गाजियाबाद व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर गाजियाबाद के निर्देशन में थानाध्यक्ष थाना मुरादनगर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.09.2021 समय 23.50 बजे को चुंगी न0 03 चौराहे के पास वाहन चोरी करने वाले दो अभियुक्तगण 1. दिवाकर उर्फ पन्टू स्व0 सुनील शर्मा निवासी गोविन्द बिहार गली न0 08 बबली के मकान में किराये पर दिल्ली 2. नीतिन कसाना स्व0 राजपाल सिंह नि0 महालक्ष्मी इन्कलेव गली न0 01/बी ब्लाक एच0एन 56 दयालपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना एम वी थैप दिल्ली से चोरी मोटसाईकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 025419/21 बरामद की गई। अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. दिवाकर उर्फ पन्टू स्व0 सुनील शर्मा निवासी गोविन्द बिहार गली न0 08 बबली के मकान में किराये पर दिल्ली
2. नीतिन कसाना स्व0 राजपाल सिंह नि0 महालक्ष्मी इन्कलेव गली न0 01/बी ब्लाक एच0एन 56 दयालपुर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 025419/21 धारा 379 भादवि थाना एम वी थैप दिल्ली
2. मु0अ0सं0 966/21 धारा 411/414 भादवि थाना मुरादनगर गाजियाबाद

बरामदगी-

1- स्पलेन्डर मोटरसाईकिल- DL5SCD8277 बरामद



चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 को 450 गोली अल्प्राजोलम सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री मिथलेश उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट द्वारा दि0 15/09/2021 को अभि0 अभियुक्त रितिक पुत्र मनोज निवासी उदल नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को 450 गोलिया ALPRAJOLAM TABLETS IP 0.5 MG सहित उदलनगर टायर मार्केट पटेलनगर के पास से सड़क सरे राह से समय 23.15 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 15/09/2021 को चैकिंग अभियान में चौकी क्षेत्र पटेलनगर में चैकिंग के दौरान उदलनगर टायर मार्केट में कोने में खड़ा था जो पुलिस टीम को देखकर शकपकाकर तेज कदमों से पीछे मुड़कर चलने लगे शक होने पर पुलिस टीम ने दौड़कर घेर घोटकर अभि0 रितिक उपरोक्त को टायर मार्केट वाली गली में समय 23.15 बजे पकड़ लिया जामा तलाशी ली गई तो 450 गोलिया ALPRAJOLAM TABLETS बरामद हुईं। अभि0 को उसके जुर्म धारा 8/21 NDPS ACT से अवगत कराकर दिरासत पुलिस में लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

रितिक पुत्र मनोज निवासी उदल नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-


मु0अ0स0 - 1145/2021 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 प्रीति सिंह थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
2. HC1321 श्यामबाबू
3. HC 1491 सुधीर कुमार
4. का0 1891 गौरव वन

बरामदगी-

450 गोलिया ALPRAJOLAM TABLETS



चैकिंग अभियान के दौरान 01 अभि0 एक अदद अवैध चाकू सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री मिथलेश उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट द्वारा दि0 16/09/21 को अभि0 खालिद पुत्र शहाबुद्दीन निवासी रेलवे स्टेशन गाजियाबाद निकट बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला गाजियाबाद , स्थाई पता- गांव जलालपुर थाना नरसेना जिला बुलन्दशहर को एक अदद नाजायज चाकू सहित जीटी रोड चर्च के पास से समय 10.15 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

दिनांक 16/09/21 को चैकिंग अभियान में चौकी क्षेत्र नेहरूनगर में चैकिंग के दौरान चर्च के पास जीटी रोड पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जो पुलिस टीम को देखकर शकपकाकर तेज कदमों से पीछे मुड़कर चलने लगे शक होने पर पुलिस टीम ने दौड़कर घेर घोटकर अभि0 खालिद उपरोक्त को समय 10.15 बजे पकड़ लिया जामा तलाशी ली गई तो इसके पास से एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ । अभि0 को उसके जुर्म धारा 4/25 ए एक्ट से अवगत कराकर दिरासत पुलिस में लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

खालिद पुत्र शहाबुद्दीन निवासी रेलवे स्टेशन गाजियाबाद निकट बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला गाजियाबाद , स्थाई पता- गांव जलालपुर थाना नरसेना जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 - 1146/2021 धारा 4/25 ए एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विजय कुमार थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
2. का02021 गौरव सिंह

बरामदगी-

01 अदद चाकू नाजायज



थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से अवैध गांजा व अवैध शराब सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 16.09.2021 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर अभि० संदीप पुत्र लक्ष्मन सिंह नि० आम्रपाली स्कूल के पास कनावनी थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद को अवैध 390 ग्राम गांजा के साथ तथा अभि० काले उर्फ सतपाल पुत्र टेकचन्द नि० घनश्याम स्कूल के पास गली नं० 1 झण्डापुर थाना लिंक रोड गा०बाद को अवैध 32 पक्वा देशी शराब मिस इण्डिया मार्का व अभि० भूरी उर्फ कविराज पुत्र धनवीर चौधरी नि० ग्राम बैरिना थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर को अवैध 26 पक्वा देशी शराब मिस इण्डिया मार्का व कान्हा पुत्र मोती नि० घनश्याम स्कूल के पास गली नं० 01 झण्डापुर थाना लिंक रोड गा०बाद को अवैध 30 पक्वा देशी शराब मिस इण्डिया मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संदीप पुत्र लक्ष्मन सिंह नि० आम्रपाली स्कूल के पास कनावनी थाना इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद।
2. काले उर्फ सतपाल पुत्र टेकचन्द नि० घनश्याम स्कूल के पास गली नं० 1 झण्डापुर थाना लिंक रोड गा०बाद।
3. भूरी उर्फ कविराज पुत्र धनवीर चौधरी नि० ग्राम बैरिना थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर।
4. कान्हा पुत्र मोती नि० घनश्याम स्कूल के पास गली नं० 01 झण्डापुर थाना लिंक रोड गा०बाद।

बरामदगी का विवरण -

1. 390 ग्राम गांजा
2. 88 पक्वा देशी शराब मिस इण्डिया मार्का

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु०अ०सं० 0560/2021 धारा 8/15 NDPS.ACT भादवि० थाना लिंक रोड गाजियाबाद बनाम संदीप
2. मु०अ०सं० 0561/2021 धारा 60 आब० अधि० थाना लिंकरोड गाजियाबाद बनाम काले उर्फ सतपाल
3. मु०अ०सं० 0562/2021 धारा 60 आब० अधि० थाना लिंकरोड गाजियाबाद बनाम भूरी उर्फ कविराज
4. मु०अ०सं० 0562/2021 धारा 60 आब० अधि० थाना लिंकरोड गाजियाबाद बनाम कान्हा

थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 01 महिला अभियुक्ता सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी के पीली/सफेद धातु के जेवरात बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120B/34/411 भादवि व मु0अ0सं0 1493/21 धारा 457/380/411/120B भादवि व मु0अ0सं0 1157/21 धारा 457/380/411/120B भादवि के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण (1) इमरान पुत्र अकील उर रहमान नि0 अन्सारी का मकान फाईक कालोनी सैटेलाइट रोड थाना बारादरी बरेली (2) महिला अभियुक्ता को दिनांक 15.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर पुराना बस अड्डा गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से थाना कविनगर के उपरोक्त मुकदमों में चोरी किये गये सफेद व पीली धातु के जेवरात बरामद हुए।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी कोठियों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ में कविनगर क्षेत्र में पूर्व में हुई चोरियों का इकबाल किया गया। अभियुक्तों द्वारा अन्य राज्यों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

(1) इमरान पुत्र अकील उर रहमान नि0 अन्सारी का मकान फाईक कालोनी सैटेलाइट रोड थाना बारादरी बरेली उम्र करीब 27 वर्ष।

(2) महिला अभियुक्ता

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इमरान

- 1-मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2-मु0अ0सं0 1003/19 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 3-मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 5-मु0अ0सं0 1326/18 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।
- 6-मु0अ0सं0 241/17 धारा 21/22 NDPS ACT थाना सिविललाईन्स जिला अलीगढ़।
- 7-मु0अ0सं0 737/16 धारा 379/511 भादवि थाना सिविललाईन्स जिला अलीगढ़।
- 8-मु0अ0सं0 574/17 धारा 379/511 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली।
- 9-मु0अ0सं0 593/17 धारा 379/411 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली।
- 10-मु0अ0सं0 594/17 धारा 379/411 भादवि थाना जामियानगर दिल्ली।
- 11- मु0अ0सं0 435/21 धारा 457/380 भादवि थाना गोमती नगर लखनऊ।

आपराधिक इतिहास महिला अभियुक्ता

- 1- मु0अ0सं0 1157/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 3- मु0अ0सं0 1493/21 धारा 380/457/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 4- मु0अ0सं0 435/21 धारा 457/380 भादवि थाना गोमती नगर लखनऊ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक मंगल सूत्र पीली धातु जिसमें काले सफेद मोतियों की माला है सम्बन्धित मु0अ0सं0 1157/21 धारा 457/380/411/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. एक अंगूठी पीली धातु, एक सफेद धातु सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश की अकृति बनी है, 10 चकती(बिछवे) सफेद धातु, सफेद धातु का एक ओम एक पी, एक घड़ी पीली चैन की, 3 चैन सफेद धातु की जिसमें एक में लक्ष्मी व एक में डबल SS का पैडिल है, एक छल्ला सफेद धातु, 2 जोड़ी सफेद धातु बच्चे के हाथ के कड़े, एक अंगूठी सफेद धातु, एक ब्रेसलेट सफेद धातु, 6 जोड़ी पायल सफेद धातु की छोटी बड़ी, टाप्स सफेद धातु के 2 जोड़ी, लौंग पीली धातु 16 सम्बन्धित मु0अ0सं0 1353/21 धारा 380/411/120बी/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

3. एक जोड़ी पायल सफेद धातु सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 1493/21 धारा 457/380/411/120बी भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार व उनके कब्जे से 7 बण्डल पावर कोर्ड (LED TV उपकरण) बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा थाना कविनगर के मु0अ0सं0 1554/21 धारा 381/411 भादवि के अभियोग में वाछिंत अभियुक्तगण (1) विकास पाण्डे पुत्र मिथलेश पाण्डे नि0 अखा थाना रहुऊ जिला नालन्दा विहार हाल नि0 शुक्र बाजार बम्हेटा थाना कविनगर गा0बाद (2) निसार पुत्र आकिल नि0 सिखैड़ा थाना पिलखुआ हापुड़ को दिनांक 15.09.2021 को वन हुण्डई के सामने अण्डर पास थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 7 अदद बण्डल पावर कोर्ड (LED TV उपकरण) बरामद किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर चोर हैं जो कम्पनी मे नौकरी प्राप्त कर मौका मिलते ही कम्पनी का सामान चोरी करके बेचकर अवैध धन अर्जित करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

(1) विकास पाण्डे पुत्र मिथलेश पाण्डे नि0 अखा थाना रहुऊ जिला नालन्दा विहार हाल नि0 शुक्र बाजार बम्हेटा थाना कविनगर गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष।

(2) निसार पुत्र आकिल नि0 सिखैड़ा थाना पिलखुआ हापुड़ उम्र करीब 34 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. 7 बण्डल पावर कोर्ड (LED TV उपकरण)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास पाण्डे

5- मु0अ0सं0 1554/21 धारा 381/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निसार

6- मु0अ0सं0 1554/21 धारा 381/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र स्व0 चन्द्रपाल उम्र 26 वर्ष नि0 गली न0 20 शिव विहार फेस 7 करावलनगर दिल्ली को दिनांक 16.09.2021 को एसएलएफ वेद विहार कट पुस्ता डी एल एफ से 54 पव्वे देशी शराब संतरा

हरियाणा मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

राहुल कुमार पुत्र स्व० चन्द्रपाल उम्र 26 वर्ष नि० गली न० 20 शिव विहार फेस 7 करावलनगर दिल्ली

मु०अ०सं०- 1318/2021 धारा 60/63 एक्स आई एक्ट थाना लोनी गा०बाद

बरामदगी का विवरण:-

54 पक्वे देशी शराब संतरा नाजायज हरियाणा मार्का

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार ।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 16.09.21 को चैकिंग के दौरान पाइप लाइन चौक राहुल गार्डन की तरफ चौकी सेवाधाम क्षेत्र से एक अभियुक्ता श्रीमती राखी पत्नी अजय सासी नि० राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद को 44 पक्वे संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

श्रीमती राखी पत्नी अजय सासी नि० राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 827/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद।
2. मु०अ०सं० 719/021 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्ता राखीसे बरामद का विवरण-

44 पक्वे संतरा शराब हरियाणा मार्कानाजायज ।